

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

ककुमणी कौठ बनाम तहमीलदास जैतारण  
किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 190/सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामिल  
में जारी हुए

वकील सा0 उपस्थित।

वकील सा0 ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा  
80 RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व वाद दर्ज  
रजिस्टर किया जावें। गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज तलब किये जावे। पत्रावली  
आयन्दा दिनांक 20.11.22 को पेश हो।

*Duyk*  
SDO

1073  
10/11/22

वकील सा0 (नर जेठे उपन)  
आज 5:00 बजे कोर्ट में पत्रावली पेश की  
पत्रावली दिनांक 22/11/22 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई आज 22.11.22 कोर्ट में पेश की गई।  
वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित करने से पत्रावली आयन्दा दिनांक  
20/11/2023 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई आज 22.11.22 कोर्ट में पेश की गई।  
वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित करने से पत्रावली आयन्दा दिनांक  
19/11/2023 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई।  
पत्रावली को अवलोकित किया जाय। उक्त वाद में  
लखत मोहन ललाच की कृषि भूमि स्थित है, जिसका  
क्षेत्राधिकार माधालच ललाच कलक्टर (का. डी)  
जैतारण की लखत से माधालच हाथ में दर्ज है  
वही) उक्त पत्रावली में माधालच ललाच ललाच  
कलक्टर (का. डी) जैतारण जिलादारी कार्यालय पत्रावली  
मन्सूर है कृपया ध्यान दें।

